न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर(चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 89/20

1. नारायणराम पुत्र गोमाराम उम्र 60 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम बम्बू तहसील बीदसर जिला चूरू राजस्थान

वादी

बनाम

1. नेमाराम पुत्र इमरताराम जाति रेगर निवासी ग्राम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. श्रीमती जमना पुत्री स्व. इमरताराम पत्नी पूर्णाराम जाति रेगर निवासी ग्राम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान, हाल निवासीनी रेगरों का मौहल्ला रेवदास आश्रम के पास, कस्बा सुजानगढ जिला चूरू राजस्थान
3. श्रीमती मनोहरी पुत्री स्व. इमरताराम पत्नी अणदाराम जाति रेगर निवासी ग्राम सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान, हाल निवासीनी खिंवताना वाया सांजू तहसील डेगाना जिला नागौर राजस्थान
4. पांचाराम पुत्र मुकनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम मानपुरा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
5. रामचन्द्र पुत्र हेमाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम सातलेरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राजस्थान

प्रतिवादीगण

"राजस्व वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन हेतु"

उपस्थित :–

1. रघुवीर भांभू एडवोकेट – वास्ते वादी
2. प्रतिवादी संख्या 6– पेरोकार राज.

निर्णय

दिनांक :– 14-07-21

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एंव प्रविादीगण संख्या 1 ता 5 के संयुक्त खातेदारी एंव कब्जा काश्त उपयोग उपभोग के खेत खसरा नं. 1812/1742 तादादी 0.5501 हैक्टेयर, वाके रोही सांडवा में स्थित है। जिसमें वादी का 1265/5501 हिस्सा की खातेदारी की भूमि है एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पिता इमरताराम की मृत्यू हो चुकी है जिनके जायज वारीसान है जिनका हिस्सा 2403/5501 व प्रतिवादी संख्या 4 का 948/5501 व प्रतिवादी संख्या 5 का 885/5501 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने काफी अरसे पूर्व मौखिक विभाजन किया मौखिक विभाजन के मुताबिक वादी का खसरा नं. 1812/1742 में बीदासर से नोखा रोड़ के उतरी ओर एक प्लाट छोड़कर 1265/5501 हिस्सा पांती व बंटवारा में आयी व इसी प्रकार आज दिन कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें वादी एंव प्रतिवादीगण का खान पान, लेन देन, रहन सहन सब अलग अलग है।

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का अपनी हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन आपसी तौर पर किया हुआ है तथा अलग अलग सिंवें कायम है परन्तू वादगत खेतो कि खातेदारी राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है। जिसके कारण वादी को कई प्रकार की कानूनी आपतीयों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिवादीगण 1 ता 5 सिंवों को लेकर विवाद करते रहते है जिसके कारण वादी अपने हिस्से पांती व कब्जा काश्त के वादगत खेत में अपने हिस्सा पांती भूमि खातेदारी की विधिवत आधार पर विभाजन करवाकर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अपने नाम से पृथक दर्ज करवाकर लगान का विभाजन करवाना चाहता है जिसका वादी कानूनी अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कई बार आपसी तौर पर वादगत खेतों कि खातेदारी का विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वो टालम टोल करते रहे। प्रतिवादीगण 1 ता 5 वादगत खेत की सिंव को काटकर समाप्त कर देते है तथा कई बार आकर ऐलानियां धमकीयां देते है कि वादगत खेत में तुम्हारा जो हिस्सा है उस पर हम जबरन कब्जा करेंगे, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने वादी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया है। वादी ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार दिनांक 01/08/2020 को निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इंकार कर दिया वादगत खेतों का जब तक विभाजन नहीं हो जाता है जब तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त माना जाता है वादगत खेत का बिना विधिगत विभाजन करवाये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत कि खातेदारी शामीलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता आदि आदि वाद पेश किया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 विधिवत तामील के बावजुद हाजीर अदालत नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के खिलाफ दिनांक 07/01/2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अम्ल में लायी गयी इस प्रकार जवाबदेही बन्द की गई। प्रतिवादी संख्या 6 की और से पेरोकार राज ने प्रकरण में अपने जबाव में राजहित निहित नहीं होना अंकित किया। कोई जबावदेही नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादी की और से अपने साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू.–1 वादी स्वयं ने सशपथ बयान किये है व वादी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2076–79 जो प्रदर्श– 1 व नक्शा अक्स जो प्रदर्श 2 है पेश किये।

बहस विद्वान अधिवक्ता की सुनी गई जिसमें वकील वादी ने निवेदन किया की प्रस्तूत दस्तावेज प्रदर्श 1 से बखुबी प्रमाणीत है कि वादी मुताबिक राजस्व रेकार्ड के 1265/5501 हिस्सा की खातेदार कृषक है व वादी का खेत खसरा नंबर 1812/1742 तादादी 0.5501 है वाके रोही सांडवा में वादी का हिस्सा बीदासर से नोखा रोड़ के उतरी ओर एक प्लाट छोड़कर 1265/5501 हिस्सा पर अपना कब्जा काश्त काफी अरसा पूर्व से चला आ रहा है। वादी का विधिवत विभाजन बाई मिट्स एंव बाउण्डस के आधार पर किया जाकर राजस्व रेकार्ड में पृथक खातेदारी दर्ज कर अलग अलग लगान कायम जावें।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार 3 पर

Scanned with CamScanner

पत्रावली का भली भांती अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस सुनी गई व प्रस्तूत दस्तावेज व वादी के बयानों को भली भांती अवलोकन किया जिसे यह प्रमाणीत है कि वादी वादगत खेत खसरा संख्या 1812/1742 तादादी 0.5501 है., वाके रोही सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू की में 1265/5501 हिस्सा का खातेदार कृषक है। वादी का वाद इस प्रकार स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचीत है कि वादगत खेत खसरा नं. 1812/1742 तादादी 0.5501 हैक्टेयर वाके रोही सांडवा में वादी का हिस्सा 1265/5501 भूमि, बीदासर से नोखा रोड़ के उतरी ओर एक प्लाट छोड़कर हिस्सा पृथक संयुक्त खातेदारी का विभाजन किया जाकर वादी अकेले के नाम राजस्व रेकार्ड में अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जाना उचित है।

आदेश

वादी का वाद प्रारंभिक रूप से इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नं. 1812/1742 तादादी 0.5501 हैक्टेयर वाके रोही सांडवा तहसील बीदासर जिला चूरू में वादी का 1265/5501 हिस्सा की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में अलग दर्ज कर अलग लगान कायम किया जावे। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे कि विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में पेश करे। इस प्रकार प्रारंभिक डिक्री जारी हो। खर्चा मुकदमा पक्षकार अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 14-07-21 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर, चूरू

Scanned with CamScanner